न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)

आर०एम० वाद सं०–194 / 2022–23

छोटानगपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(1)b

नागेश्वर महतो बनाम योगेश्वर महतो

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
05-09-2023	विक्रेता का नाम एवं पता :– नागेश्वर महतो पिता–भुनेश्वर महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती।	

क्रेता का नाम एवं पता :– योगेश्वर महतो पिता–स्व० घासिया महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना– सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती।

विद्वान अधिवक्ता का नाम :– श्री राम चन्द्र महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–23 / 03 / 2022 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत क्रेता योगेश्वर महतो पिता–स्व० घासिया महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना– सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:–

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना / थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
कुबाडीह	सोनाहातु / 93	55	38	25डी०	भुवनेश्वर महतो	भुवनेश्वर महतो	जयपाल महतो	दशरथ महतो

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधरण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक–218(ii) दिनांक– 27 / 07 / 2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है:–

1. प्रस्तावित भूमि के खतियानी रैयत नेतु महतो के नाम से दर्ज है।
2. खतियान रैयत / पंजी–II रैयत विक्रेता के परपोता है।
3. पंजी–II के अनुसार रैयत का नाम गोर्वधन महतो, रामधन महतो, शिवधन महतो पिता नतु महतो एवं नतु महतो पिता काशी महतो के नाम दर्ज है। तथा रैयत के पास रकबा–1.68.5 एकड़ भूमि है।
4. प्रस्तावित भूमि का मालगुजारी वर्ष–2022–23 तक वसूली गई है।
5. जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पोता का है। तथा खतियानी भूमि के आधार जमाबंदी कायम है।
6. सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित भूमि कायमी है।
7. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् विक्रेता 1.43.5 एकड़ भूमि शेष रह जायेगा।
8. विक्रेता प्रस्तावित भूमि को पारिवारिक कार्य एवं आवश्यक कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
9. क्रेता एवं विक्रेता दोनों कुरमी जाति के है।
10. क्रेता एवं विक्रेता दोनों एक ही थाना क्षेत्र के निवासी है।

उपरोक्त प्रतिवदेन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत विक्रेता नागेश्वर महतो पिता–भुनेश्वर महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता योगेश्वर महतो पिता–स्व० घासिया महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने हेतु अनुमति देने की अनुशंसा किया गया है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–23/03/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता नागेश्वर महतो पिता–भुनेश्वर महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना–सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती को क्रेता योगेश्वर महतो पिता–स्व० घासिया महतो, ग्राम–महेशपुर, पो०–राहे, थाना– सोनाहातु, जिला–राँची, जाति–कुरमी, पेशा–खेती के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1)b के तहत दी जाती है। अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारति दर से कम में नहीं करेंगे।

बिक्री हेतु भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	चौहद्दी			
					उ०	द०	पू०	प०
कुबाडीह	सोनाहातु/93	55	38	25डी०	भुवनेश्वर महतो	भुवनेश्वर महतो	जयपाल महतो	दशरथ महतो

लेखपित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बुण्डू(राँची)।

Digitally signed by SANDEEP ANURAG TOPNO
Date: 2024.01.08 14:02:21 +05:30
Location: 10.93.79.9